कार्यालय जिला पंचायत (ग्रामीण विकास), छिंदवाड़ा (म0प्र0)

परिशिष्ट—अ

प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में जानकारी

क्र.	नाम	पदनाम	अनियमितता का विवरण	विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4602 में प्रतिवेदित कार्यवाही	की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति
1.	श्रीमती बुशरा खान	उपयंत्री, जनपद पंचायत चौरई	1. मोक्ष धाम में गुणवत्ताहीन कार्य। 2. पशुशेड का मूल्यांकन बिना पात्रता की पुष्टि के किया गया।	मूल्यांकन से अधिक भुगतान के संबंध में राशि वसूली का प्रकरण पंचायत राज अधिनियम के धारा 92 के अंतर्गत कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चौरई के न्यायालय में प्रचलित। संविदा समाप्ति हेतु नोटिस जारी किया गया है।	मोक्षधाम में गुणवत्ताहीन कार्य की अनुविभागीय अधिकारी, चौरई द्वारा धारा 92 के प्रकरण में वसूली, अन्य लोगों से कर प्रकरण समाप्त किया गया है। पशुशेड में श्रीमती बुशरा खान के विरूद्ध कोई वसूली आरोपित नहीं की गई है। श्रीमती खान वर्तमान में संविदा सेवा पर सिवनी जिले में कार्यरत होने से उनकी संविदा सेवा समाप्त करने के लिए कलेक्टर सिवनी को पत्र लिखा गया है।
2.	श्रीमती मिथलेश बघेल	उपयंत्री, जनपद पंचायत चौरई	1. अपात्र व्यक्तियों को पशुशेड का मूल्यांकन किया जाना।	मूल्यांकन से अधिक भुगतान के संबंध में राशि वसूली का प्रकरण पंचायत राज अधिनियम के धारा 92 के अंतर्गत कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चौरई के न्यायालय में प्रचलित। संविदा समाप्ति हेतु नोटिस जारी किया गया है।	अनुविभागीय अधिकारी, चौरई द्वारा श्रीमती मिथिलेश बघेल पर स्वीकृति से अधिक भुगतान की राशि की वसूली रू. 32028/— कर ली गई है। वसूली दिनांक 27.02.2017 को की गई। श्रीमती बघेल वर्तमान में संविदा सेवा पर सिवनी जिले में कार्यरत होने से उनकी संविदा सेवा समाप्त करने के लिए कलेक्टर सिवनी को पत्र लिखा गया है।
3.	श्री एस.एस. साहू	सहायक यंत्री, जनपद पंचायत चौरई	1. मोक्ष धाम निर्माण में गुणवत्ताहीन कार्य का मूल्यांकन किया जाना। 2. पशुशेड का मूल्यांकन बिना पात्रता के पुष्टि के किया गया।	मूल्यांकन से अधिक भुगतान के संबंध में राशि वसूली का प्रकरण पंचायत राज अधिनियम के धारा 92 के अंतर्गत कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चौरई के न्यायालय में प्रचलित। सिविल सेवा आचरण नियम के तहत संभागीय आयुक्त को विभागीय जांच प्रस्तावित की गयी है।	अनुविभागीय अधिकारी, चौरई द्वारा श्री साहू पर स्वीकृति से अधिक भुगतान की राशि की वसूली रू. 32028/— कर ली गई है। वसूली दिनांक 27.02.2017 को की गई। आयुक्त जबलपुर संभाग ने अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण में श्री साहू को 14 जुलाई 2017 को दोषमुक्त किया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत छिंदवाड़ा

कार्यालय जिला पंचायत (ग्रामीण विकास), छिंदवाड़ा (म0प्र0)

परिशिष्ट—ब

क्र.	अधिकारी का नाम	वसूली की गई राशि	यदि नही/कारण
1.	श्रीमती बुशरा खान, उपयंत्री।	निरंक	मोक्षधाम के कार्य में निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत होने से सरपंच/सचिव से वसूली की कार्यवाही की गई है।
2.	श्रीमती मिथलेश बघेल, उपयंत्री।	रू. 32028/—	—
3.	श्री एस.एस. साहू, सहायक यंत्री।	रू. 32028/—	—

क्र.	अधिकारी का नाम	पद से पृथक किया अथवा नही	कारण अद्यतन स्थिति
1.	श्रीमती बुशरा खान, उपयंत्री।	नहीं	इनके खिलाफ सेवा समाप्ति हेतु पत्र कलेक्टर सिवनी को लिखा गया है।
2.	श्रीमती मिथलेश बघेल, उपयंत्री।	नहीं	इनके खिलाफ सेवा समाप्ति हेतु पत्र कलेक्टर सिवनी को लिखा गया है।
3.	श्री एस.एस. साहू, सहायक यंत्री।	इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव कमिश्नर जबलपुर संभाग को भेजा गया था।	न्यायालय कमिश्नर द्वारा इन्हें दोषमुक्त घोषित किया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत छिंदवाड़ा